झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्
जिला स्तरीय कार्यालय : दुमका
खुट्टाबाँध, दुमका - 814101, झारखण्ड
Email : jepssadumka@gmail.cor

पत्रांक : 1000 दिनांक : 12.10.23

प्रपत्र–2

सेवा में,

अध्यक्ष / संयोजक,
विद्यालय प्रबंध समिति,
सिकेट हार्ट स्कूल, दुमका

विषय : **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महाशय,

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड सरकार के अधिसूचना संख्या–629, दिनांक–25.04.2019 जो कि झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 के नाम से प्रवृत है, के आलोक में आपके द्वारा विद्यालय को मान्यता प्रदान करने लिए समर्पित किये गये स्वघोषणा–सह–आवेदन पत्र एवं विद्यालय का भौतिक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा दिनांक–09.10.2023 को संपन्न जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, दुमका की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मैं आपके विद्यालय **सिकेट हार्ट स्कूल, दुमका** को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के लिए संचालन हेतु मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन है : –

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा 01 में उस कक्षा में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने आस–पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. उक्त कंडिका 3 में उल्लेखित बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्त्ति की जायेगी। प्रतिपूर्त्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगी।
5. विद्यालय किसी प्रकार से बच्चों या उसके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेंगे और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी भी बच्चे को उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत नही के कारण, प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्नलिखित बिन्दूओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा –
   - I- प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चें को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - II- किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

III- प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

IV- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चें को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

V- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा।

VI- अध्यापकों की भर्त्ती अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन धोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरूप किया जायेगा।

VII- अध्यापक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

VIII- अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया–कलापों में नियोजित नही करेंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुपालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालयों के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाओं का विवरण निम्नवत् है –

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	
कुल निर्मित क्षेत्र	18280.85 Sq. ft.
खेल के मैदान का क्षेत्र	5327.87 Sq. ft.
वर्ग कक्षों की कुल संख्या	25
प्रधानाध्यापक सह कार्यालय	उपलब्ध है।
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय	उपलब्ध है।
पेयजल की सुविधा	उपलब्ध है।
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर	लागू नही।
बाधा रहित पहुँच	उपलब्ध है।
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय	उपलब्ध है।

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नही चलाई जायेगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. विद्यालय किसी व्यक्ति, समुह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

14. विद्यालय के लेखाओं का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणिकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–नोडल पदाधिकारी, आर.टी.ई. 2009 को भेजी जायेगी।

15. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय–समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्त्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायेंगे।

16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का ग) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार) के अधिसूचना संख्या–629, दिनांक–25.04.2019 के आलोक में एक वर्ष के अन्दर पुनः विद्यालय का निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा।

18. विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोर्ड संख्या RTE/01/2023-24 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित किया जायेगा।

10.10.23

10/10/23

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
नोडल पदाधिकारी,
शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009
दुमका